न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –102/2019 (Bank Case)

यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित व कार्यरत है । जिसका शाखा कार्यालय कोटा में नं0(0139) राजस्थान में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स बालाजी एजेन्सीज प्रो. श्री भैरव नाथ झा पुत्र श्री महाकान्त झा
   पताः– 2–यू–13 महावीर नगर–तृतीय, कोटा राजस्थान
   व्यवसाय का पता–एच–1–483–सी, आई.पी.आई.ए. कोटा, राजस्थान ।
2. श्री भूपेन्द्र झा पुत्र श्री महाकान्त झा
   पताः– 2–यू–13, महावीर नगर–तृतीय, कोटा राजस्थन ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित
श्री अमरसिंह नरूका, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 01.10.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि यूको बैंक एक राष्ट्रीयकृत बैंक, प्रधान कार्यालय 10 वि.त्रै.म. सरणी, (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता में स्थित व कार्यरत है । जिसका शाखा कार्यालय कोटा में नं0(0139) राजस्थान में स्थित व कार्यरत है । से अप्रार्थी ने दिनांक 02.02.2017 को केश क्रेडिट रूपये 19,40,000/–(अक्षरेः रूपये उन्नीस लाख, चालिस लाख, मात्र) का टर्म लोन 'ए' दिनांक 03.02.2011 को रू. 5,00,000/– (अक्षरेः रूपये पांच लाख मात्र) व टर्म लोन 'बी' दिनांक 13.4.2017 को रूपये 9,00,000/– (अक्षरेः रूपये नौ लाख मात्र) कुल ऋण राशि 33,40,000/– (अक्षरेः तैंतीस लाख, चालिस लाख, मात्र) का ऋण लिया था । अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति श्री भैरव नाथ झा पुत्र श्री महाकान्त झा की आवासीय संपत्ति जो मकान नं. 2–वी–11, महावीर नगर–।।।, कोटा, राजस्थान पर है । जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 45.20 वर्गमीटर है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 7 अप्रेल 2005 से अप्रार्थी 1 भैरवनाथ झा के नाम है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तर में– मकान नं. 2–बी–10, दक्षिण में–सड़क, पूरब में–सड़क, पश्चिम में– म0 नं. 2–बी–12 है** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 30.06.2019 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थीगण के खाते मे 32,51,683.24 (अक्षरे रूपये बत्तीस लाख, इक्यावन हजार, छः सौ तिरांसी रू. से चौबीस पैसे मात्र) बकाया रकम

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

दिनांक 30.06.2019 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 19.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 19.07.2019 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुआ, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत दिनांक 19.07.2019 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये, जो अप्रार्थी को तामिल हुए, नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **अचल सम्पत्ति श्री भैरव नाथ झा पुत्र श्री महाकान्त झा की आवासीय संपत्ति जो मकान नं. 2–वी–11, महावीर नगर–।।।, कोटा, राजस्थान पर है । जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पतित के अभिन्न अंग है । जिसकी माप लगभग 45.20 वर्गमीटर है । जो रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 7 अप्रेल 2005 से से अप्रार्थी 1 भैरवनाथ झा के नाम है । जिसकी चर्तुः सीमाएं– उत्तर में– मकान नं. 2–बी–10, दक्षिण में–सड़क, पूरब में–सड़क, पश्चिम में– म0 नं. 2–बी–12 है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.10.2019 को सुनाया गया ।

(ओम कसेरा)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner